

न्यायालय : प्रतिष्ठा अवस्थी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड,  
मध्यप्रदेश

प्रकरण क्रमांक : 37/2015 मु.फौ.

संस्थापन दिनांक : 25.10.2012

1—श्रीमती सुमन पत्नी जितेन्द्रसिंह पुत्री वीरेन्द्रसिंह जाति  
ठाकुर निवासी ग्राम एण्डोरी हाल महाराजपुर रोड बजरंग  
नगर, न्यू बिजली घर के पास मुरैना जिला मुरैना म.प्र.

2—सिंकल आयु 5 वर्ष (पुत्र)

3—लवली आयु 3 वर्ष (पुत्री) नाबालिग सरपरस्त मां  
श्रीमती सुमन पत्नी जितेन्द्र सिंह जाति ठाकुर निवासी  
ग्राम एण्डोरी हाल महाराजपुर रोड बजरंग नगर, न्यू  
बिजली घर के पास मुरैना जिला मुरैना म.प्र.

— आवेदकगण

#### बनाम

जितेन्द्र पुत्र राजेन्द्रसिंह जाति ठाकुर, निवासी ग्राम  
एण्डोरी थाना तहसील गोहद जिला भिण्ड म.प्र.

— अनावेदक

( आवेदन अंतर्गत धारा 125 द.प्र.स. )

( आवेदकगण द्वारा अधिवक्ता श्री अरुण श्रीवास्तव )

( अनावेदक द्वारा अधिवक्ता श्री हृदेश शुक्ला )

#### आदेश

( आज दिनांक 15-11-2017 को पारित )

इस आदेश द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आवेदन धारा 125  
द0प्र0सं0 का निराकरण किया जा रहा है।

2. संक्षेप में आवेदन इस प्रकार है कि, आवेदिका क्रमांक 1 की शादी  
आवेदन प्रस्तुत करने के करीब 6 वर्ष पूर्व अनावेदक जितेन्द्र के साथ हुई थी। आवेदिका  
क्रमांक 1 सुमन के पिता ने आवेदिका की शादी में अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज  
पचास हजार रुपये, नगद, मोटरसाइकिल, फ्रिज, कूलर, अलमारी, सोने के आभूषण  
इत्यादि दिए थे। शादी के बाद से ही अनावेदक एवं उसके परिवारवाले आवेदिका से  
कहने लगे थे कि आवेदिका के पिता ने उन्हें शादी में कम दहेज देकर अपमानित किया

है। आवेदिका जब दूसरी बार अपनी ससुराल पहुंची थी तो आवेदिका के ससुरालवाले आवेदिका को कम दहेज लाने के लिए ताने देने लगे थे तथा उसे खाने पीने के लिए भी तंग करने लगे थे। अनावेदक द्वारा रात्रि के समय आवेदिका की मारपीट की जाती थी इससे तंग आकर आवेदिका ने अपने पिता को सूचना दी थी। सूचना के आधार पर आवेदिका के पिता रिश्तेदारों को लेकर ग्राम एण्डोरी आये थे तथा अनावेदक एवं उसके परिवारजन को समझाया था कि वह गरीब व्यक्ति हैं तो अनावेदक एवं उसके परिवारजन ने आवेदिका के पिता से कहा था कि उन्हें दहेज में पचास हजार रुपये एक सोने की अंगूठी एवं एक सोने की चैन चाहिए नहीं तो वह आवेदिका की मारपीट करेंगे एवं उसे घर से निकाल देंगे। आवेदिका सुमन एवं अनावेदक के वैवाहिक संबंधों से एक पुत्र सिंकल एवं पुत्री लवली का जन्म हुआ है जोकि वर्तमान में आवेदिका के साथ ही निवासरत हैं। आवेदिका के ससुरालवाले आवेदिका को लगातार शारीरिक एवं मानसिक यातनायें देने लगे थे एवं इसी क्रम में अनावेदक ने दिनांक 12.03.11 को रात्रि में आवेदिका क्रमांक 1 को आवेदक क्रमांक 2 एवं 3 के साथ घर से निकाल दिया था। आवेदिका किसी तरह अपने पिता के घर पहुंची थी एवं सारी घटना अपने माता पिता को बतायी थी। तब आवेदिका के पिता अन्य रिश्तेदारों को लेकर पुनः ग्राम एण्डोरी आये थे तथा आवेदिका के ससुरालवालों को समझाया था परन्तु अनावेदक एवं उसके परिवारजन नहीं माने थे तथा उन्होंने कहा था कि जब तक उन्हें पचास हजार रुपये, जजीर व अंगूठी नहीं मिलेंगे तब तक वह आवेदकगण को नहीं रखेंगे। आवेदिका क्रमांक 1 ग्रामीण अनपढ़ महिला है उसके पास आय का कोई साधन नहीं है। अनावेदक के पास आय के पर्याप्त साधन हैं। अनावेदक के नाम से ग्राम एण्डोरी में 12 बीघे सिंचित कृषि भूमि है जिससे पांच लाख रुपये वार्षिक आय होती है। अनावेदक पोरसा में टैण्ट का व्यवसाय करता है जिससे दस लाख रुपये वार्षिक आय होती है। अनावेदक की कुल वार्षिक आय पन्द्रह लाख रुपये है। अनावेदक हष्टपुष्ट स्वस्थ व्यक्ति है। अतः आवेदिका क्रमांक 1 को अनावेदक से पांच हजार रुपये एवं आवेदक क्रमांक 2 एवं 3 को तीन-तीन हजार रुपये प्रतिमाह भरण पोषण की राशि दिलाई जावे।

3. अनावेदक द्वारा आवेदिका के आवेदन का खण्डन करते हुए उत्तर आवेदन प्रस्तुत कर व्यक्त किया गया है कि आवेदिका क्रमांक 1 अनावेदक की विवाहिता पत्नी है। आवेदिका एवं अनावेदक का विवाह दिनांक 24.04.04 को संपन्न हुआ था। आवेदिका क्रमांक 1 के विवाह में उसके पिता ने कोई दान दहेज नहीं दिया था। आवेदिका के पिता का विवाह में सिर्फ पचास हजार रुपये खर्च हुआ था। अनावेदक एवं उसके परिवारजन द्वारा आवेदिका से कभी भी दहेज की मांग नहीं की गयी है ना ही आवेदिका को खाने पीने के लिए परेशान किया गया है। आवेदक क्रमांक 2 एवं 3 अनावेदक के पुत्र पुत्री हैं। आवेदिका क्रमांक 1 अनावेदक के पुत्र एवं पुत्री को जबरदस्ती अपने पास रखे हुए है। अनावेदक एवं उसके परिवार ने कभी भी आवेदिका को मानसिक यातनायें नहीं दी हैं ना ही आवेदिका की मारपीट कर उसे घर से निकाला है। आवेदिका अपनी मर्जी से बिना किसी पर्याप्त कारण के अपने पिता के घर रह रही है। आवेदिका पढ़ीलिखी चालाक महिला है तथा अपना एवं बच्चों का भरण पोषण करने में सक्षम हैं। अनावेदक कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है। अनावेदक के पास कोई भूमि नहीं है ना ही अनावेदक टैण्ट का व्यवसाय करता है। आवेदिका ने अनावेदक को मानसिक रूप से परेशान कर रखा है जिसके कारण अनावेदक मजदूरी भी नहीं कर पा रहा है। आवेदिका द्वारा परिवार परामर्श केन्द्र मुरैना में भी आवेदन प्रस्तुत किया गया था। परिवार परामर्श केन्द्र में आवेदिका ने दिनांक 13.05.11 को अपनी शर्त रखते हुए कहा था कि वह अपने पति को मुरैना में ही रखेगी तथा ससुराल नहीं जायेगी। अनावेदक आवेदकगण को अपने साथ रखने के लिए तत्पर हैं। आवेदिका अपनी मर्जी से अनावेदक के साथ निवास नहीं कर रही है। अतः आवेदिका भरण पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं हैं। फलतः

आवेदिका द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया जावे।

4. उपरोक्त अवलोकन से इस न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित विचारणीय प्रश्न उत्पन्न हुये हैं कि :-

1. क्या आवेदिका पर्याप्त कारणों से अनावेदक से पृथक निवासरत हैं ?
2. क्या आवेदिका अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हैं ?
3. क्या अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है ?
4. क्या अनावेदक द्वारा आवेदिका का भरण पोषण किये जाने में उपेक्षा बरती जा रही है ?
5. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में आवेदिका की ओर से स्वयं आ0सा01 के अतिरिक्त साक्षी वीरेन्द्रसिंह आ0सा02 को परीक्षित कराया गया है जबकि अनावेदक की ओर से किसी भी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

॥ निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण ॥

॥ विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01 लगायत 04 ॥

6. साक्ष्य की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

7. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संबंध में आवेदिका सुमन आ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अपने मुख्यपरीक्षण के दौरान यह व्यक्त किया है कि उसके द्वारा श्रीमान एडीपीओ महोदय गोहद एवं थाना प्रभारी महोदय पुलिस थाना एण्डोरी को दिए गए आवेदन की प्रतिलिपि पेश की गयी है। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 2 में उक्त साक्षी ने व्यक्त किया है कि यदि उसका पति उसे पत्नी रूप में रखे तथा अपने सारे दायित्वों का निर्वहन करे तो भी वह उसके साथ रहने के लिए तैयार नहीं है।

8. आवेदिका साक्षी वीरेन्द्रसिंह आ0सा02 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में व्यक्त किया है कि उसकी पुत्री सुमन की शादी अनावेदक जितेन्द्र के साथ हुई थी। उसकी लड़की को जितेन्द्र, राजेन्द्र, नरेन्द्र, रामलखन, केशव आदि परेशान करते थे उक्त लोग दहेज में पचास हजार रुपये एवं सोने की जंजीर मांगते थे उनके पास दहेज देने के लिए रुपये नहीं थे इसलिए इन लोगों ने उसकी लड़की को तीन साल पहले घर से निकाल दिया था। उसकी लड़की के पास एक लड़का और एक लड़की है। उसकी लड़की अपने दोनों बच्चों के साथ मुरैना उसके पास में रहती है। जितेन्द्र ने टैण्ट का व्यवसाय कर लिया है। उसके पास दस बीघे जमीन है। उसकी लड़की के पास आय का कोई साधन नहीं है।

9. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि आवेदिका की ओर से साक्षी शांति सिकरवार आ0सा03 को भी आवेदिका साक्ष्य में परीक्षित कराया गया है। शांति सिकरवार आ0सा03 का दिनांक 10.10.14 को न्यायालय में मुख्यपरीक्षण अंकित किया गया था तथा शांति सिकरवार के अस्वस्थ होने के कारण उक्त दिनांक को उसका प्रतिपरीक्षण स्थगित किया गया था तत्पश्चात कई अवसर दिए जाने के पश्चात भी आवेदकगण की ओर से उक्त साक्षी को न्यायालय में उपस्थित नहीं रखा गया था। प्रकरण में कई अवसर दिए जाने के पश्चात दिनांक 24.02.15 को आवेदिका साक्ष्य समाप्त घोषित कर दी गयी थी। चूंकि साक्षी शांति सिकरवार से अनावेदक को प्रतिपरीक्षण करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है एवं शांति सिकरवार का प्रतिपरीक्षण नहीं हुआ है ऐसी स्थिति में शांति सिकरवार आ0सा03 का मुख्यपरीक्षण भी साक्ष्य में ग्राह्य नहीं है एवं शांति सिकरवार आ0सा03 का मुख्यपरीक्षण साक्ष्य में पठनीय नहीं है।

10. तर्क के दौरान आवेदकगण अधिवक्ता द्वारा व्यक्त किया गया है कि आवेदिका अनावेदक द्वारा प्रताड़ित किए जाने के कारण अनावेदक से प्रथक निवासरत है जबकि तर्क के दौरान अनावेदक अधिवक्ता द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि आवेदकगण पर्याप्त कारणों से अनावेदक से प्रथक निवासरत हैं।

11. प्रस्तुत प्रकरण में आवेदिका सुमन आ0सा01 ने न्यायालय के समक्ष अपने कथन में अनावेदक द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित करने एवं उसे बच्चों सहित मारपीट कर घर से निकाल देने के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है। उक्त साक्षी द्वारा अपने मुख्यपरीक्षण में मात्र यह बताया गया है कि उसने एडीपीओ महोदय गोहद एवं थाना प्रभारी महोदय थाना एण्डोरी की फोटोप्रति पेश की है। इसके अतिरिक्त उक्त साक्षी द्वारा अन्य कोई कथन नहीं किया गया है। यद्यपि आवेदिका साक्षी वीरेन्द्रसिंह आ0सा02 ने अपने कथन में यह बताया है कि अनावेदक और उसके परिवारजन आवेदिका से दहेज में पचास हजार रुपये एवं सोने की जंजीर मांगते थे परन्तु यह बात स्वयं आवेदिका सुमन आ0सा01 द्वारा नहीं बतायी गयी है। आवेदिका सुमन आ0सा01 द्वारा अपने मूल आवेदन के तथ्यों के संबंध में न्यायालय के समक्ष कोई कथन नहीं किया गया है। चूंकि आवेदिका सुमन आ0सा01 द्वारा मूल भरण पोषण के आवेदन के संबंध में कोई कथन नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में वीरेन्द्रसिंह आ0सा02 के कथनों के आधार पर यह नहीं माना जा सकता है कि आवेदकगण पर्याप्त कारणों से अनावेदक से प्रथक निवासरत हैं।

12. प्रस्तुत प्रकरण में आवेदिका सुमन आ0सा01 द्वारा अपने आवेदन के समर्थन में कोई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गयी है एवं आवेदन के संबंध में कोई कथन न्यायालय में नहीं दिया गया है। चूंकि आवेदिका द्वारा स्वयं भरण पोषण के आवेदन संबंध में कोई कथन न्यायालय में नहीं दिया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त आवेदन स्वीकार योग्य नहीं है।

13. उपरोक्त चरणों में की गयी विवेचना से यह प्रमाणित नहीं होता है कि आवेदकगण अनावेदक से पर्याप्त कारणों से प्रथक निवासरत हैं, अनावेदक पर्याप्त साधनों वाला व्यक्ति है एवं अनावेदक द्वारा आवेदकगण का भरण पोषण करने में उपेक्षा बरती जा रही है। फलतः आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन निरस्त किया जाता है।

स्थान—गोहद

दिनांक—15.11.2017

आदेश हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर,  
खुले न्यायालय में पारित किया गया

मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया

सही /—

सही /—

(प्रतिष्ठा अवस्थी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

(प्रतिष्ठा अवस्थी)  
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)